

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प. 7(117)परि/नियम/मु. / 1994 / पार्ट-III/44270

जयपुर, दिनांक: 27/09/2017

कार्यालय आदेश संख्या 33/2017

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के तहत परिवहन यानों पर गति नियंत्रक युक्ति लगाये जाने का प्रावधान है।

विभाग द्वारा इस बाबत कार्यालय आदेश 28/2017 दिनांक 18.08.2017 को जारी किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार वाहन श्रेणी (M₁) "यात्री और उनके सामान के वहन के लिये उपयोग किये गये चार पहिया, जिनकी बैठने की क्षमता चालक सीट के साथ-साथ 8 यात्रियों से अधिक नहीं है (एम 1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा;" में भी गति नियंत्रक युक्ति लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

निर्देशानुसार "यात्री और उनके सामान के वहन के लिये उपयोग किये गये चार पहिया, जिनकी बैठने की क्षमता चालक सीट के साथ-साथ 8 यात्रियों से अधिक नहीं है (एम 1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा;" श्रेणी के वाहनों पर गति नियंत्रक युक्ति लगाये जाने की अनिवार्यता में दिनांक 30.11.2017 तक छूट प्रदान की जाती है।

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक: प. 7(117)परि/नियम/मु. / 1994 / पार्ट-III/44271-78

जयपुर, दिनांक: 27/09/2017

प्रतिलिपि:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाइट अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)